



वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा।

कमांक:-वमखुविवि/कुस(आर.टी.आई.)/11/2283

दिनांक:- 06/07/11

आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 5(1) Every public authority shall, within one hundred days of the enactment of this act, designate as many officers as the Central Public Information Officers or State Public Information Officer, as the case may be, in all administrative units or offices under its as may be necessary to provide information to persons requesting for the information under this act. के तहत इस कार्यालय का आदेश कमांक 2612 दिनांक 16.02.06 जारी किया गया था, जिसके तहत समस्त ईकाई प्रमुखों को लोक सूचना अधिकारी बनाया गया था, किंतु बाद में उक्त आदेशों को अतिक्रमित करते हुए आदेश कमांक 489 दिनांक 06.02.09 जारी किया गया, जिससे मुख्यालय स्थित ईकाई अध्यक्षों के स्थान पर कुलसचिव को ही लोक सूचना अधिकारी रखा गया एवं निदेशक क्षेत्रीय केन्द्रों को सहायक लोक सूचना अधिकारी बनाया गया इसके बाद एक अन्य आदेश कमांक 1359 दिनांक 08.07.10 द्वारा मुख्यालय स्थित विभिन्न ईकाई प्रभारियों को भी सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है।

वर्तमान में प्रचलित उक्त व्यवस्था के तहत सूचना के अधिकार के अर्न्तगत प्राप्त आवेदन पत्रों के समय पर निस्तारण के सम्बन्ध में आ रही कठिनायों को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को तुरंत प्रभाव से अतिक्रमित करते हुए विश्वविद्यालय के समस्त ईकाई प्रमुख अधिनियम की धारा 5(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं:-

क्रम संख्या	विभाग का नाम	नियुक्त किये गये लोक सूचना अधिकारी का पदनाम
01	कुलपति सचिवालय	सचिव, कुलपति सचिवालय
02	कुलसचिव कार्यालय	कुलसचिव
03	वित्त विभाग	वित्त अधिकारी
04	परीक्षा विभाग	परीक्षा नियंत्रक
05	क्षेत्रीय सेवाएँ	निदेशक (क्षेत्रीय सेवाएँ)
06	योजना एवं विकास विभाग	निदेशक (योजना एवं विकास)
07	विज्ञान एवं तकनीकी	निदेशक (विज्ञान एवं तकनीकी)
08	संकाय	निदेशक (संकाय)
09	केन्द्रीय पुस्तकालय	प्रभारी, केन्द्रीय पुस्तकालय
10	सामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग	प्रभारी, सामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग
11	प्रेवश विभाग	प्रभारी (प्रेवश)

क्र.सं.	स्ट्रिड	निदेशक, स्ट्रिड
13	ई0एम0पी0सी0	निदेशक, ई0एम0पी0सी0
14	गांधी शांति अध्ययन केन्द्र	प्रभारी, गांधी शांति अध्ययन केन्द्र
15	अतिथि गृह	प्रभारी, अतिथि गृह
16	क्षेत्रीय केन्द्र, अजमेर	निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र, अजमेर
17	क्षेत्रीय केन्द्र, बीकानेर	निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र बीकानेर
18	क्षेत्रीय केन्द्र, जयपुर	निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र, जयपुर
19	क्षेत्रीय केन्द्र, जोधपुर	निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र, जोधपुर
20	क्षेत्रीय केन्द्र, कोटा	निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र, कोटा
21	क्षेत्रीय केन्द्र, उदयपुर	निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र, उदयपुर

उपरोक्त वर्णित लोक सूचना अधिकारियों के वि0वि0 कार्य से मुख्यालय छोड़ने अथवा अवकाश पर रहने की स्थिति में विभाग में कार्यरत अधीनस्थ वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा लोक सूचना अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन किया जावेगा।

Sd/-
कुलपति

क्रमांक:- वमखुविवि / कुस(आर.टी.आई.) / 11 / 2284 - 311

दिनांक:- 06 / 07 / 11

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य सूचना आयुक्त, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, कोटा।
5. समस्त ईकाई प्रमुख एवं लोक सूचना अधिकारी, वमखुविवि।
6. डा0 अनुरोध गोधा, सहायक आचार्य, वमखुविवि, कोटा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को वि0वि0 के वेबसाइट पर अप लोड करने का कष्ट करें।
7. कुलसचिव, राज0 तक0 वि0वि0, कोटा एवं कोटा वि0वि0, कोटा।


कुलसचिव